न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–133 / 2022 दायर दिनांक: 5.7.2022

GCMS NO:- 2022/257 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

किशना आ0 जगन्नाथ जाति धाकड नि0 फतेहगंज हाल नि0 सकतपुरा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. रमेश आ0 नारायण जाति धाकड नि0 फतेहगंज हाल नि0 सकतपुरा तहसील नैनवॉ।
2. राकेश आ0 नारायण जाति धाकड नि0 फतेहगंज हाल नि0 सकतपुरा तहसील नैनवॉ।
3. रामप्रकाश आ0 नारायण जाति धाकड नि0 फतेहगंज हाल नि0 सकतपुरा तहसील नैनवॉ।
4. अंजना पुत्री नारायण पत्नी सीताराम धाकड हाल नि0 कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक।
5. ममता पुत्री नारायण पत्नी रामसहाय जाति धाकड हाल नि0 कैथुदा तहसील नैनवॉ।
6. गिरीराज आ0 रामधन जाति धाकड नि0 फतेहगंज तहसील नैनवॉ।
7. प्रेम पत्नी स्व. रामधन जाति धाकड नि0 फतेहगंज तहसील नैनवॉ।
8. भूमिधारी राज0 सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।
अप्रार्थी संख्या 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण शर्मा।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज मे वर्तमान खाता संख्या 37 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 1.6261 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी खातेदार कृषक की हैसियत से काबिज काश्त है। ग्राम फतेहगंज मे खसरा नम्बर 17 जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी भूमि है तथा ग्राम फतेहगंज के ही खसरा नम्बर 18 जो कि अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 की खातेदारी भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 19 पर प्रार्थी का सदैव से आना जाना, कृषि यंत्रों को लाने–ले जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे दर्ज व मौके पर बने हुए सरकारी रास्ते खसरा नम्बर 13 से होकर खसरा नम्बर 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे–सहारे पुर्वी ओर उत्तर से दक्षिण है जो खसरा नम्बर 19 तक पहुंचता है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क मे लाल रंग से अ से ब बिन्दू तक दर्शाया गया है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 19 मे पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नही है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने उपरोक्त रास्ते को खसरा नम्बर 17 की उत्तरी मेड जो सरकारी रास्ते खसरा नम्बर 13 के सहारे सहारे है, पर अभी कुछ दिन पहले तारबंदी करके अवरूद्ध कर दिया है जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 19 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे सहारे पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण 13 फुट चौडा रास्ता दिये जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे रास्ता कायम करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण शर्मा द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पेश की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी वास्ते अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का नाम प्रार्थना पत्र मे से विलोपित करने बाबत, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 13 व 14 एवं 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र वैकल्पित रास्ता बाबत् मौका

रिपोर्ट दुबारा तलब फरमाने बाबत् पेश किया गया जिस पर तहसीलदार नैनवॉ द्वारा वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे जांच कर पुनः रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया जिस कम मे तहसीलदार नैनवॉ की वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 19 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे सहारे पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण 13 फुट चौडा रास्ता दिये जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे रास्ता कायम करवाया जावे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट क पूर्णतः गलत है। प्रार्थी को ग्राम फतेहगंज से अपनी भूमिप र पहुंचने के लिए ग्राम फतेहगंज से सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 13 मे होकर पश्चिम दिशा की ओर आना पडता है तथा खसरा नम्बर 19 पर पहुंचने का वर्षो पुराना रास्ता खसरा नम्बर 17 की पूर्वी मेड तथा खसरा नम्बर 16 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 18 मे एवं खसरा नम्बर 18 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 19 मे पहुंचने का स्थित है जिसका उपयोग प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 19 के दक्षिण मे स्थित खसरा नम्बर 20 का खातेदार नारायण मीणा सदैव करते चले आ रहे है एवं खसरा नम्बर 17 व 18 की पूर्वी मेड पर बने हुए रास्ते के संबंध मे 07/06/2018 को 50/– रूपये के स्टाम्प पर राजीनामा हो रहा है जिसके अनुसार ही रास्ता रहना विधि एवं न्याय सम्मत है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 19 पर पहुंचने का रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित रूप से तथा नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे ए से बी के रूप मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार पूर्व से मौजूद है एवं चालू है जिससे प्रार्थी को नया रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साथ ही कथन किया कि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा वैकल्पिक रास्ते की जो रिपोर्ट पेश की गयी उसमे गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 13 से खसरा नम्बर 16 से खसरा नम्बर 18 मे मौके पर रास्ता बना हुआ बताया है जिसे आगे दिया जाकर खसरा नम्बर 19 तक दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा जबरन मेरे अभिभाष्य के खातेदारी खेत मे से बदनियती व खेत को बिगाडने की दृष्टि से रास्ता लिया जा रहा है जो न्याय सम्मत नही है।

हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, वैकल्पिक रास्ते के संबंध मे प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम फतेहगंज स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे सहारे होता हुआ रास्ता जो कि प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट क मे भी लाल स्याही से दर्शाया गया है, दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के ग्राम फतेहगंज स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे सहारे निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस जिसमे लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	X चौडाई	क्षेत्रफल
17	रमेश वगै0 (खातेदारी)	बा0 3	66 मीटर	X 4 मीटर	264 वर्गमीटर **अर्थात 0.0264 हैक्टयर**
18	गिरीराज वगै0 (खातेदारी)	बा0 3	66 मीटर	X 4 मीटर	264 वर्गमीटर **अर्थात 0.0264 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 528 वर्गमीटर या 0.0528 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थी का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

आंशिक खसरा नक्शा नकल

ग्राम – फिरोजगंज

तह० – नैनवां

जिला – बूंदी (राज०)

परिशिष्ट = 5

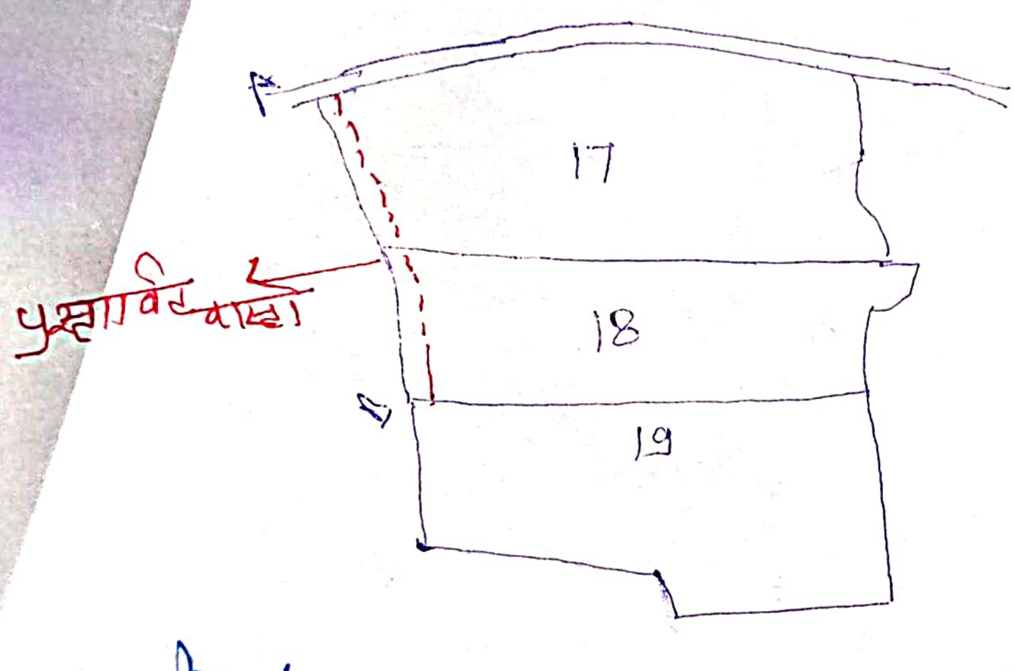

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

शुद्ध प्रतिलीपी

पटवारी
पटवार मण्डल फिरोजगंज
तह. नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

राजकार्य हेतु जारी